न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-647RAABarmer2025-318RTA223 Baburam ors Vs State of Rajasthan

01. बाबूराम पुत्र बरजांगा
02. राजूराम पुत्र बरजांगा
03. गवरी पत्नि बरजांगा

जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2025(10 नवंबर 2025) सहायक कलक्टर गुड़ामालानी राजस्व मूल वाद संख्या 341/2022 बाबूराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री हरिराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 04 फरवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 341/2022 अनवान बाबुराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2025(10 नवंबर 2025) के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 नवंबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 91 व 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण के पूर्वज वरजांगाराम के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 30.14 बीघा का आया हुआ है। जिस पर वक्त पैमाईश पूर्व, वक्त पैमाईश व बाद आज तक वादीगण के पूर्वज स्व. वरजांगाराम व बाद वादीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है और काश्त करते आ रहे है। वक्त पैमाईश संवत 2011–12 में जब जागीरकाल समाप्त होकर पैमाईश विभाग द्वारा पैमाईश की गई, तब खसरा नम्बर 62 रकबा 30.14 बीघा का पर्चा लगान स्व. जेता पुत्र मोती व वरजीरा पुत्र रतना के नाम से जारी कर दिया जो गलत है। वरजीरा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति वादीगण परिवार में नहीं था। तत्पश्चात प्रथम जमाबंदी संवतः 2026 से 2029 तक इसी क्रम में जमाबंदी दर्ज होती आई तथा जमाबंदी संवत 2030 से 2033 में कॉलम संख्या 4 में इसी क्रम दर्ज है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

परन्तु संवत 2033 में जमाबंदी के कॉलम विशेष टिप्पणी में विरनिगा वल्द रतना की बजाय वरजागा वल्द सुजा दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किये जाने पर जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में विरनिंगा के स्थान पर वरीगा वल्द रतना दर्ज कर दिया गया है। इस जमाबंदी सुधार कर वरजांगा पुत्र सुजा दर्ज करना था। वादीगण के पूर्वज वरजांगा वल्द सुजा की अन्य खातेदारी भूमि में दर्ज है। इसके बाद जमाबंदी संवत 2038 से 2053 तक इसी क्रम नाम खातेदार दर्ज होते आये तथा इस जमाबंदी के नामान्तरकरण संख्या 33 के जरिये खसरा नम्बर 62 रकबा 30.14 बीघा में आधा हिस्सा 15.07 बीघा खातेदारी का समर्पण करना बताकर राज्य सरकार के नाम दर्ज किया गया है। इस भूमि में खातेदारों में जो नाम खातेदार के दर्ज है, उसमे वरीगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार समर्पण किसने किया तथा तहसील कार्यालय से समर्पण पत्रावली की समस्त नकले मांगी गई, परन्तु कार्यालय रिर्पोट में बताया कि पत्रावली ढूंढने पर नहीं मिली है। जब ऐसी कोई पत्रावली नही है तो ऐसी दशा में किसी द्वारा फर्जी व कुटरचित कागजात बनाकर वादीगण को नुकसान पहुंचाने के आशय से गलत तरीके से नामान्तरकरण संख्या 33 तारीख 16.12.1996 पारित करवाया गया है। इस खातेदारी भूमि पर आज भी वादीगण काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। इस प्रकार गलत आधार पर खातेदारों/वादीगण की खातेदारी भूमि समाप्त की गई, जिसे वादीगण पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है, जिस हेतु पुन खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 62/1 में रकबा 15.07 बीघा गलत तरीके से राज्य सरकार के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को धारा 91 एल आर एक्ट का प्रकरण दर्ज कर बेदखल करने पर उतारू है। यह भूमि खातेदारी की है जो गलत तरीके से राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई, जिसकी आड़ में प्रतिवादी संख्या 1 व उनका प्रतिनिधि हल्का पटवारी बेदखल करने पर उतारू है। ऐसी दशा में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 62/1 रकबा 15.07 बीघा (मौजा गांधव कला मौजूदा गोदारों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 62/1 रकबा 1.6754 हेक्टयर, खसरा नम्बर 62/2 रकबा 0.0809 हेक्टयर, खसरा नम्बर 62/4 रकबा 0.3237 हेक्टयर) में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें और न ही धारा 91 एल आर एक्ट के प्रकरण में बेदखल करने का आदेश पारित कर बेदखल करें। अंत में वादीगण ने यह अनुतोष चाहा गया कि मौजा गांधव कला मौजूदा गांव गोदारों की ढाणी के खसरा नम्बर 62/1 रकबा 1.6754 हेक्टयर, खसरा नम्बर 62/2 रकबा 0.0809 हेक्टयर, खसरा नम्बर 62/4 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि में से वादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि 1/2 हिस्सा रकबा 01.04 हेक्टेयर वादीगण की खसरा नम्बर 62/4 रकबा 0.0809 हेक्टयर व खसरा नम्बर 62/1 रकबा 1.6754 हेक्टयर में घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय वाद वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीग को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर जवाबदावा पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी

गया। वादीगण के वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर तीन तनकीयात कायम किये गये जिसमें तनकी संख्या 1 वादीगण के जिम्मे रखी गई तथा तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई। जिस पर वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समथर्न में वादी संख्या 1 बाबूलाल PW–1 व स्वतंत्र गवाह PW–2 से PW-7 की साक्ष्य वादीगण के पक्ष में करवाई गई तथा दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श–पी.1 से पी.27 पेश किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण द्वारा अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहने का आक्षेप लगाते हुये वादीगण/अपीलान्टगण के वाद को दिनांक 29.09.2025 को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया तथा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण बहस में परिपूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टगण/वादीगण द्वारा विधि के सारभूत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया, जिस वाद में वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु वादीगण द्वारा अपने वादी संख्या 1 बाबूराम स्वयं के PW–1, स्वतंत्र गवाह PW-2 लाखाराम विश्नोई, PW–3 अमराराम विश्नोई, PW–4 पूनमाराम कलबी, PW–5 भूपाराम राईका, PW–6 जालाराम विश्नोई तथा PW–7 पीरसिंह रावणा राजपुत के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। उक्त सभी गवाहों ने वांदीगण के वाद के कथनों व तथ्यों की भलीभांति पुष्टि की गई, जिससे वादीगण का वाद पूर्णतया प्रमाणित है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण व उसके गवाहों के बयानों को नंजरअंदाज करते हुये आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में भी प्रदर्श–पी–1 से प्रदर्श पी–27 तक प्रदर्शित करवाकर तनकी संख्या 1 व अपने वाद पत्र को भलीभांति प्रमाणित करवाया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय वादीगण के स्वतंत्र गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य को अनदेखा करते हुये गलत आक्षेप के आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया है जबकि वादीगण वाद पत्र को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है। हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा खातेदारों द्वारा समर्पण बताया जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त खाते में वरिंगा पुत्र रतना का नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना अस्तित्व के व्यक्ति वरिगा पुत्र रतना द्वारा समर्पण किया जाना एक वैज्ञानिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। तहसील कार्यालय में उक्त समर्पण आदेश की पत्रावली संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी व वादी के पूर्वजों द्वारा कोई समर्पण नहीं किया गया है। तहसील कार्मिकों द्वारा जबरन अवैध रूप से वादी की खातेदारी आराजी राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज कर दी गई है, जबकि उक्त नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है जो समर्पण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा न ही तहसील कार्यालय

राजस्व अपील प्राधिकारी

में उक्त सर्मपण की पत्रावली उपलब्ध है। इस कारण उक्त समर्पण करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो तथ्य वादीगण द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से भलीभांति प्रमाणित किया गया है। रतना नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है तो उस स्थिति में रतना द्वारा समर्पण नहीं किया गया है। इस प्रकार समर्पण का नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मोती के दो वारिसान जेता व सुजा है। प्रकरण में आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30.14 बीघा मौजा गोदारों की ढाणी में 1/2 हिस्से में जेता पुत्र मोती व 1/2 हिस्से में सुजा पुत्र मोती का हिस्सा निहित है तथा सुजा पुत्र मोती ने किसी प्रकार का समर्पण नहीं किया गया है। वादीगण/अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 62 के साथ अन्य खसरान की भूमि 11, 10, 268, 15, के संबंध में एक अन्य राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 39/2019 बअनवान बाबूराम बनाम तहसीलदार गुडामालानी पेश किया गया था, जिस वाद को बाद सुनवाई वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 15, 62, 62/3 कुल रकबा 36.07 बीघा मौजा गोदारों की ढाणी की भूमि में वादीगण के पिता की खातेदारी व खसरा संख्या 62 व 62/3 मौजा गोदारों की ढाणी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वरिगा पुत्र रतना की प्रविष्टि हटाने का निवेदन किया गया था। वरजांगा पुत्र सुजा व वरजांगा वल्द रतना एक ही व्यक्ति है। वरजांगा वल्द रतना नाम का कोई व्यक्ति असल में अस्तित्व में नहीं करता है। इस प्रकार राजस्व इन्द्राज में अंकित इन्द्राज वरजांगा वल्द रतना को कमलजन किया गया उचित प्रतीत मानते हुये वाद को स्वीकार कर वाद को वादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया है, परन्तु हस्तगत वाद को खारिज किया गया है, जबकि दोनों वादों की विषय वस्तु लगभग एक समान है। यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार गंड़ामालानी से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त साबित है। उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुऐ आलोच्य निर्णय पारित किया है जो विधि एवं नियमों व तथ्यों की अनदेखी से ग्रस्त होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 341/2022 अनवान बाबुराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2025(10 नवंबर 2025) को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात जरिये समर्पण राज्य सरकार के नाम से दर्ज की गई है तथा वर्तमान में राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। कानूनन भूमि का समर्पण किये जाने के बाद कोई भी पक्षकार भूमि की वापस मांग नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वाराअ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपना वाद साबित नहीं किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से वाद को खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र एवं जवाब के आधार पर वाद में दो तनकीयात विरचित किये है। मामले कां विरचित तनकीयात के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार विवेचन हैः–

01. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर असल खातेदार मोती पुत्र गंगा के जायज व एकमात्र वारिश होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण.....

उक्त तनकी को साबित करने का भार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के जिम्मे रखा गया है। वादीगण/ अपीलांट्स का अपने वाद पत्र में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद में वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वक्त सेटलमेंट जारी पर्चा लगान स्व. जेता पुत्र मोती एवं वरजीरा पुत्र रतना के नाम से दर्ज कर दिया गया तथा प्रथम खतौनी इसी अनुसार तैयार की गई। खतौनी संवतः 2022 से 2025 में अपीलांट के पूर्वज वरजांगाराम. का नाम बिरनीगा वल्द रतना कर दिया गया जो जमाबंदी संवतः 2033 तक चलता रहा। जबकि उक्त नाम से गांव में कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। अपीलांट्स के पूर्वज की ओर से इस संबंध में कार्यवाही किये जाने पर जमाबंदी संवतः 2024–2036 में वरजांगा किये जाने के बजाय वरींगा वल्द रतना कर दिया गया। दौराने बहस अपीलांट्स द्वारा कथन किया गया कि ग्राम गांधव कलां में अपने नाम दर्ज भूमियों की जमाबंदीयों के मुताबिक खसरा नंबर 11, 268, 10 की भूमियों में अपीलांट्स के पूर्वज वरजांगा वल्द सुजा खातेदार जेता वल्द मोती के साथ सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलांट्स के उक्त कथनों की ताईद पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श ईएक्स–01 से ईएक्स–13 से होती है। प्रदर्श ईएक्स–05 से 10 के अवलोकन मुताबिक उक्त जमाबंदीयों में **वादग्रस्त आराजीयात के साथ खसरा नंबर 11,10 एवं 268 की भूमियों में अपीलांट्स के पूर्वज वरजांगा का नाम खातेदार जेता वल्द मोती के साथ बतौर सहखातेदार दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजीयात में उक्त जेता वल्द मोती बतौर सहखातेदार काश्तकार दर्ज है।** अपीलांट्स का कथन है कि नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा खातेदारों द्वारा समर्पण बताया जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त खाते में वरिंगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना अस्तित्व के व्यक्ति वरिंगा पुत्र रतजा द्वारा समर्पण किया जाना एक वैज्ञानिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स के उक्त कथनों के विरोध में रेस्पो./तहसीलदार की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त कथनों का खण्डन नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से उपस्थित गवाहन द्वारा भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा की ओर से तलब मौका फर्द दिनांक 27.01.2026 में भी वरजांगा पुत्र सुजा व वरिंगा पुत्र रतना एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि की गई है, जिससे साबित है कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के असल खातेदार मोती वल्द गंगा के जायज वारिस ठहरते है। लिहाजा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष साबित होने से अदालत हाजा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तनकी पर दिये गये मत से सहमत नहीं होने से उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

02. **आया वादवर्णित आराजी में से तत्कालीन खातेदार द्वारा विधिवत राज्य सरकार को समर्पण किये जाने के पश्चात वादीगण को समर्पित सरकारी जमीन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।** **जिम्मे प्रतिवादी.....**

उक्त तनकी के परिप्रेक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकरण संख्या 33 तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट दिनांक 28.09.2004 जो तहसीलदार गुड़ामालानी, पटवारी हल्का, श्री मंगलसिंह सेवानिवृत भू–अभिलेख निरीक्षक एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में तैयार की गई है, के अवलोकन मुताबिक जेता वल्द मोती एवं वरींगा द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि समर्पित की गई थी। उक्त मौका फर्द अनुसार समर्पित भूमि के रकबा 15.07 बीघा में सें रकबा 10.18 बीघा भूमि पर स्कुल, पानी की टंकी है। शेष रकबा 4.09 बीघा के संबंध में खातेदार वरजांगा द्वारा अपनी ओर से कोई कानूनी कार्यवाही की जाती है तो उनके भाईयों को कोई एतराज नहीं है। उक्त तथ्य से साबित है कि खातेदारान् द्वारा सद्भाविक भूल से अधिक भूमि राज्य सरकार को समर्पित की गई है। अदालत हाजा की ओर से तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 27.01.2026 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 62 का बाद समर्पण खसरा नंबर 62/1 रकबा 15.08 बीघा दर्ज हुआ है। वर्तमान में बाद आवंटन उक्त आराजी खसरा नंबर 62/1 रकबा 1.6754 हैक्टेयर, खसरा नंबर 62/2 रकबा 0.4856 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 62/4 रकबा 0.3237 हैक्टेयर के रूप में नये खसरे सृजित हो चुके है। वर्तमान में खसरा नंबर 62/1 रकबा 1.6754 हैक्टेयर में से रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट्स बाबुलाल, राजुराम पिता वरजांगा व गवरी पत्नी वरजांगा का कब्जा काश्त बताया गया है। खसरा नंबर 62/4 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि शमशान की भूमि है। मौका फर्द के बिंदु संख्या 07 में अंकित है कि मौजूद लोगो ने बताया कि खसरा नंबर 62/1 रकबा 15.07 बीघा जो कि समर्पित भूमि है, इसमें से 12.07 बीघा भूमि ही राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण होनी थी जो 03 बीघा भूमि अतिरिक्त समर्पित हो गई, जिस पर खसरा नंबर 62 के खातेदारान् का कब्जा काश्त है। उक्त मौका फर्द से वादग्रस्त आराजीयात पर रकबा 03 बीघा भूमि पर अपीलांट के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है। उक्त मौका फर्द में मौके पर विवाद के निस्तारण हेतु सलंन नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी आंशिक तौर पर प्रतिवादी पक्ष में साबित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से साबित है कि अपीलांट्स स्व. मोती वल्द गंगा के असल वारिसान् है तथा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 62/1 रकबा 1.6754 हैक्टेयर में से रकबा 0.4856 हैक्टेयर पर अपीलांट्स का वर्तमान में कब्जा काश्त है। तनकी संख्या दो के विवेचन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि खातेदारान् द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में रकबा 12.07 बीघा भूमि समर्पण की जानी थी जो सह्वन से रकबा 15.07 बीघा समर्पित हो गई। सन् 2004 में पक्षकारान् द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के रूबरू अपीलांट्स द्वारा उक्त अधिक समर्पित भूमि के संबंध में कोई किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स उक्त रकबा 03 बीघा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी ठहरते है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त मौका फर्द में उभय पक्ष द्वारा विवाद निस्तारण हेतु मौके पर उपलब्ध शमशान की भूमि की भी मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्ती की अनुशंषा की गई है। लिहाजा इस संबंध में भी विवाद निस्तारण हेतु निर्देश दिया जाना उचित समझते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इन परस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 341/2022 अनवान बाबुराम व अन्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2025(10 नवंबर 2025) अपास्त किये जाते है तथा वादीगण/अपीलांट्स को वादग्रस्त आराज़ीयात खसरा नंबर 62/1 रकबा 1.6754 हैक्टेयर में से रकबा 0.4856 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी मौका फर्द दिनांक 27.01.2026 के साथ सलंग्न नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का खाता अलग करते हुए शमशान भूमि सहित मौके पर उक्तानुसार अपीलांट की भूमि की तरमीम अंकित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

1.

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

जिला : बाड़मेर

पटवारी हल्का : गांधव कला

तहसील : गुढामलानी

ग्राम : गोदारो की ढाणी

दिनांक : 27/01/2026 05:50:54 PM

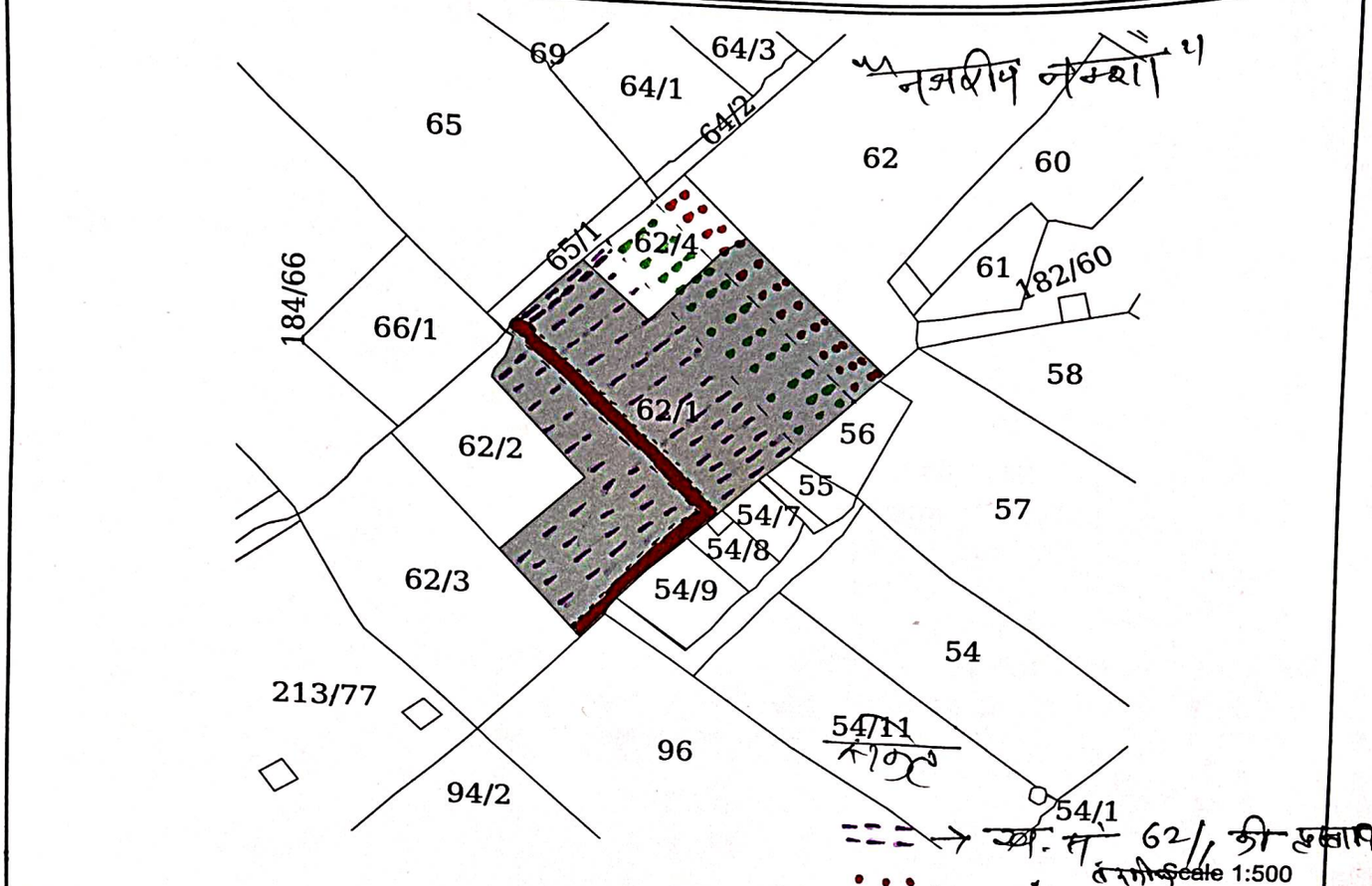

भू. अ. नि. क्षेत्र : पीपराली

खसरा संख्या :62/1 क्षेत्रफल : 1.6754 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [1.6754]

राज. सरकार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

27/1/2026

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर